दिनांक–27.01.2025 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (जिला परिषद्) के साथ आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है :–
   (1) श्रीमती प्रीति तोंगरिया, अपर सचिव
   (2) श्री आनन्द शर्मा, निदेशक
   (3) श्री रघुवंश कुमार सिन्हा, परामर्शी
   (4) श्री नजर हुसैन, संयुक्त सचिव
   (5) श्री किशोर कुमार, संयुक्त सचिव
   (6) श्री गोविन्द चौधरी, उप सचिव
   (7) श्री सुभाष कुमार शर्मा, उप सचिव
   (8) श्री आलोक कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी
   (9) श्री अशोक कुमार, निदेशक मॉनिटिंग, भवन निर्माण विभाग, पटना।
   (10) श्री संजय कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पटना।
   (11) श्री गोपाल शरण, विशेष कार्य पदाधिकारी
   (12) श्री अभिषेक रंजन, कार्यपालक अभियंता
   (13) श्रीनिवास, राज्य क्वालिटी मॉनिटर

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों (जिला परिषद्) को ससमय बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

3. <u>सामान्य निदेशः–</u>

   सर्वप्रथम निम्न् सामान्य निदेश दिये गयेः–

   - सप्ताह में एक बार किसी एक विषय पर Special Drive कर समीक्षा करेंगें।
   - अनुश्रवण से संबंधित एक पंजी संधारित कर उसमें तिथिवार समीक्षा किये गये बिन्दुओं का उल्लेख करेंगे।
   - उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी समय–समय पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहायक जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं पंचायत सचिव के कार्यों को नियमित समीक्षा करेंगे।
   - उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी माह में कम से कम एक बार कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी की संयुक्त समीक्षात्मक बैठक करेंगें। उसी प्रकार जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी भी अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मियों के कार्यों का अनुश्रवण करेंगें।

कृ०पृ०उ०.....

4. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

i. पंचायत सरकार भवन :–

- ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कई जिलों यथाः भोजपुर, जमुई, जहानाबाद इत्यादि के द्वारा मूल प्राक्कलन में 20% तक वृद्धि के उपरांत कुल कितनी राशि की वृद्धि होगी, पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को पोर्टल अपडेट करने का निदेश दिया गया।

- 20% तक प्राक्कलन पुनरीक्षण के क्रम में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि 23 प्रस्ताव तैयार कर तकनीकी स्वीकृति हेतु मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को भेजा गया है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालन्दा के द्वारा बताया गया कि उनके जिला में पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। एक पंचायत नगर पंचायत में चला गया एवं एक पंचायत के मुखिया पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु तैयार नहीं है। संबंधित मुखिया के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई का निदेश दिया गया। सहरसा के जिला पंचायत राज पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 22 में से 21 का प्रस्ताव तैयार किया गया है। 12 का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार सिवान द्वारा बताया गया कि 20 प्रस्ताव मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को भेजा गया। समीक्षा में पाया गया कि मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा तकनीकी स्वीकृति देने में विलंब किया जा रहा है। स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के मुख्य अभियंता को निदेशित किया गया कि वे अपने स्तर से सभी Ex. Eng एवं अधीक्षण अभियंता से समन्वय कर शीघ्र तकनीकी स्वीकृति दिलाने हेतु प्रयास करेंगे। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त जिला पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने की जिम्मेवारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की होगी।

(अनुपालनः–सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी उप विकास आयुक्त, मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन)

- ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन में से 269 पंचायत सरकार भवन द्वितीय तल की छत ढलाई तथा 57 पंचायत सरकार भवन प्रथम तल के प्लींथ स्तर पर निर्मित है, जो द्वितीय तल तक निर्मित है, उसे फरवरी, 2025 तक तथा जो प्रथम प्लींथ स्तर तक निर्मित है, उसे 15 मार्च, 2025 तक पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी उप विकास आयुक्त)

लगातार.....

- कुल 76 पंचायतों में ग्राम पंचायतों के द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी इसकी समीक्षा कर एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करेंगें।

(अनुपालनः– सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी उप विकास आयुक्त)

- कुल 612 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु भूमि का चयन नहीं किया गया है। मुख्यतः कटिहार, मुजफ्फरपुर, सिवान, मधुबनी, पटना, वैशाली, अररिया से काफी संख्या में भूमि चयन नहीं किया गया है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी तथा ACEO इसकी समीक्षा कर भूमि चयन कराना सुनिश्चित करेंगें। अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् की जिम्मेवारी तय की जायेगी अगर भूमि प्राप्त नहीं होता है।

(अनुपालनः– सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी उप विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्)

- LAEO के द्वारा निर्माण करायें जा रहे पंचायत सरकार भवन पंचायत सरकार भवन में कुल 274 एवं भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कराया जा रहे पंचायत सरकार भवन में से 490 मामलें समस्याग्रस्त भूमि से संबंधित है। इसमें सबसे अधिक मामला दरभंगा, भागलपुर एवं पूर्वी चम्पारण का है। इसमें जो विवादित भूमि है उसका समाधान अंचलाधिकारी एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के माध्यम से करायें। समाधानोपरान्त प्रखंड पंचायत राज पदधिकारी एवं Agency तथा संबंधित Engineer अगले 24 घंटे में कार्य अपने समक्ष कराएं ताकि समस्या का निदान पूर्णतः माना जा सके। जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त भी आवश्यकतानुसार स्थल निरीक्षण कर अथवा वीडियो प्राप्त कर सुनिश्चित करें कि कार्य प्रारंभ हुआ या नहीं। जो अभियंता चयनित भूमि की किसी तकनीकी के कारण से अयोग्य भूमि कहते है, उनसे लिखित प्रतिवेदन की मांग कर जिला पदाधिकारी के आदेश से किसी दूसरे अभियंता से भी जांच कराये। यदि विरोधाभास प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो संबंधित अभियंता के विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन समर्पित करें। मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं भवन निर्माण विभाग को समन्वय स्थापित कर समस्याग्रस्त भूमि का समाधान कर कार्य प्रारंभ करने का निदेश दिया जाय। पंचायत में यदि दूसरी भूमि का चयन किया जाता है तो पूर्व में भूमि चयनित करने वाले राजस्व एवं पंचायत के कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध विधिवत कार्रवाई करें।

(अनुपालनः– सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी उप विकास आयुक्त, मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन/भवन निर्माण विभाग)

लगातार.....

ii. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–

1. दिनांक–22.01.2025 को V.C के माध्यम से हुए बैठक में निदेशित है कि प्रथम एवं द्वितीय चरण में निर्गत कार्यादेश के विरूद्ध अधिष्ठापित सोलर लाईट एंव निरीक्षित आपूरित सामग्री को छोड़कर शेष सभी सोलर लाईटों के कार्यादेश को एकरारनामा की शर्त्तों को पूरा नहीं करने के कारण रदद् करते हुए तृतीय चरण के एजेंसियों में समानुपातिक रूप से वितरित कर दिया जाय। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रथम चरण में भोजपुर में 2630, मधेपुरा में 2630, सीवना में 1496 सहित अन्य जिलों में भी कार्यादेश के अनुरूप अधिष्ठापन लंबित है। इसी प्रकार द्वितीय चरण में गोपालगंज में 5550, खगड़िया में 4880 एवं समस्तीपुर में 14360 सहित अन्य जिलों में भी कार्यादेश के अनुरूप अधिष्ठापन लंबित है। प्रथम एवं द्वितीय चरण का बचा हुआ कार्य तीसरे चरण की एजेंसियों को समानुपातिक रूप से स्थानांतरित कर दिये जाने के निदेश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में जिम्मेवारी निर्धारित कर कार्रवाई करें।

2. आज की बैठक में सोलर स्ट्रीट लाईट से संबंधित एकरारनामा के अनुरूप जिला पंचायत राज विभाग एवं एजेंसी को निर्धारित समयबद्ध कार्य को लेकर चरणवार चेकलिस्ट उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एकरारनामा के अनुरूप कार्य नहीं किया गया है, उनकें विरूद्ध एकरारनामा के अनुरूप Deduction/Penalty/LD के साथ–साथ Termination/Rescind/Blacklisting की कार्रवाई की जाय एवं इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

3. प्रत्येक जिलें में प्रत्येक एजेंसी को सर्विस सेन्टर की स्थापना एवं उसमें तकनीकी कर्मी उपलब्ध कराया जाना है। इसे सुनिश्चित कराया जाय एवं Defaulter एजेंसी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

4. सोलर स्ट्रीट लाईट के प्रत्येक पोल पर संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी का दो Whatsapp Number Complaint हेतू अंकित किया जाना है। इसे सुनिश्चित कराया जाय।

5. सोलर लाईट के अनुश्रवण हेतु जिले में अधिष्ठापित CMS को पूर्णतः क्रियाशील कराना सुनिश्चित कराया जाय।

6. चूँकि सोलर लाईट के कार्यरत होने का अनुश्रवण संध्या के बाद ही किया जा सकता है, अतः सर्विस सेन्टर एवं CMS सेन्टर को कम से कम पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 4 से 12 बजे रात्रि तक अवश्य कार्यरत किया जाय तथा इसका अनुश्रवण एवं जाँच की जाए।

(अनुपालन :– सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार)

लगातार.....

iii. 15वीं वित्त आयोग के अंतर्गत ली गई योजनाओं की अद्यतन प्रगति :–

जिला परिषद् में 15वीं वित्त आयोग के द्वारा अनुशंसित राशि के व्यय की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, बेगूसराय, सारण, नालंदा आदि जिलों में व्यय का प्रतिशत काफी कम है। राज्य स्तर पर मात्र 32% का व्यय हुआ है।

इसी प्रकार पंचायत समिति स्तर पर लखीसराय, बक्सर, जमुई, मुंगेर, सीतामढ़ी, भोजपुर, भागलपुर, सुपौल आदि जिलों में व्यय का प्रतिशत न्यून है। राज्य स्तर पर मात्र 16% का व्यय हुआ है।

पंचायत स्तर पर जहानाबाद, जमुई, लखीसराय, नालंदा, औरंगाबाद, गया, बक्सर आदि जिलों में व्यय का प्रतिशत बहुत ही कम है। राज्य स्तर पर 36% का व्यय हुआ है।

दिनांक–18.10.2024 को हुई समीक्षा के उपरान्त भी कई जिलों में 15वीं वित्त की राशि के व्यय में काफी कम प्रगति हुई है। दिनांक–18.10.2024 के बाद जिला परिषद् के व्यय में वृद्धि जहानाबाद में मात्र 0.14%, खगड़िया 1.34%, समस्तीपुर 0.97%, नालंदा 0.42%, कैमूर 0.43%, बेगूसराय 0.59% तथा मुजफ्फरपुर 0.21% रहा है।

सभी उप विकास आयुक्त को निदेशित किया गया कि जिला परिषद के व्यय में तेजी लाई जाय। कुल स्वीकृत योजना तथा कुल कार्यादेश निर्गत योजना की संख्या के अनुरूप हर योजना के व्यय की समीक्षा की जाय।

जिन पंचायत समितियों में व्यय का प्रतिशत कम है, वहाँ जिला पंचायत राज पदाधिकारी स्वयं भ्रमण कर उसकी समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई कराना सुनिश्चित करेंगे। पंचायत स्तर पर जिन पंचायतों में व्यय बहुत ही कम है, वहाँ के प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी तथा पंचायत सेवक की समीक्षा कर उनके विरूद्ध आश्यकतानुसार कार्रवाई की जाय।

(अनुपालनः– सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार)

iv. षष्ठम राज्य वित्त आयोग– ePanchayat Bihar Portal में योजना अंतर्गत भुगतान की अद्यतन स्थिति :–

षष्ठम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत योजनाओं के भुगतान हेतु निर्मित विभागीय पोर्टल e-Panchayat Bihar Portal के माध्यम से त्रिस्तरीय समितियों का भुगतान की समीक्षा की गयी। जिला परिषद् के स्तर पर जिला समस्तीपुर जिला में सबसे कम भुगतान किया गया है। पंचायत समिति के स्तर पर जिला गोपालगंज एवं कैमूर में सबसे कम भुगतान किया गया है। इसी तरह ग्राम पंचायत के स्तर पर जिला सहरसा, दरभंगा एवं पटना में सबसे कम भुगतान किया गया है। जिसपर खेद व्यक्त करते हुए निदेशित किया गया कि इस मद में ली गयी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं राशि के व्यय में प्रगति लाये। इस संबंध में यदि अभिलेख प्रखंड

लगातार.....

पंचायत राज पदाधिकारी/पंचायत सचिव/लेखापाल के स्तर पर लंबित रहा हो, तो इसकी समीक्षा करते हुए दोषी के विरूद्ध कार्रवाई की जाय।

सभी जिलों को 15वीं एवं 6th SFC के राशि के व्यय में तेजी लाने का निदेश दिया गया। जिन जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत का व्यय कम होगा वैसे 05 पंचायती राज संस्थाओं से प्रशाखा–03 एवं 06 को स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–03 एवं 06, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना)

v. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से प्राप्त ₹225 करोड़ राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थितिः–

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा प्राप्त कुल ₹225 करोड़ राशि में से ₹154.35 करोड़ राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त है। शेष जिलों को जनवरी माह के अंत तक पूर्ण उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार)

vi. उपयोगिता प्रमाण–पत्र :–

लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा की गयी एवं सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि पंचायती राज विभाग के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र में लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा माह दिसम्बर, 2024 से अप्रैल, 2025 तक ₹6118 करोड़ की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार के द्वारा समायोजित कराने का मासिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य के अनुरूप राशि समायोजित नहीं होने की स्थिति में अधिनस्थ कार्यालयों के सहायक अनुदान मद की निकासी पर रोक लगा दिया जायेगा। इस लिए सभी जिला उक्त लक्ष्य के आलोक में ₹7500 करोड़ की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रत्येक माह समायोजित करायें। सभी जिलों को निदेश दिया गया कि अपने जिलें का लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की योजनावार सूची प्राप्त कर लेंगें।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र सेन्ट्रल डाक में Receive न कराकर संबंधित उपयोगिता कोषांग/प्रशाखा–07 में Receive कराया जाय एवं कोषांग के वरीय पदाधिकारी को संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी उसी दिन दूरभाष पर सूचित भी करें। उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिसका Receiving का साक्ष्य नहीं प्राप्त हो रहा है, वैसे उपयोगिता प्रमाण–पत्र को पुनः विभाग में समर्पित किया जाय।

(अनुपालनः– सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार)

लगातार.....

vii. Audit Status :–

समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिलों में वर्तमान में किये जा रहे ऑडिट ऑनलाईन एवं सी0ए0फर्मो से संबंधित अंकेक्षण में प्रगति लाते हुए अंकेक्षण कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु निदेशित किया गया।

अंकेक्षण कार्यों में लापरवाही बरतने पर सभी संबंधितों पर नियमानुकूल कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। साथ ही लोक लेखा समिति से संबंधित आपत्ति कंडिकाओं का अनुपालन हेतु निदेशित किया गया है।

(अनुपालनः– सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार)

viii. CWJC & MJC Status :–

औरंगाबाद में 02 तथा भोजपुर, अररिया, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा एवं पटना में 01–01 अवमानना वाद (MJC) लंबित है। मुजफ्फरपुर में 13, समस्तीपुर में 12, सारण में 10, रोहतास, खगड़िया में 09, दरभंगा, नवादा, खगड़िया में 07, तथा इसी तरह अन्य जिलों में भी CWJC लंबित है। सभी MJC/CWJC मामलों में जिलों से प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दायर करने हेतु जिलों में लंबित न्यायिक वादों में कारण पृच्छा/प्रति शपथ–पत्र दायर कर अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार)

ix. क्षेत्रीय पदाधिकारियों/कर्मियों/संविदा कर्मियों के सभी वेतन/मानदेय, यात्रा भत्ता, वाहन मद, अन्य दावा का भुगतान को नियमानुसार अद्यतन करते हुए लंबित मामलों को 'शून्य' किया जाय। सेवा निवृत पदाधिकारी/सभी कर्मी से संबंधित भुगतान नियमानुसार ससमय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालनः– सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/संबंधित प्रशाखा, पं0रा0वि0)

x. जो भी DPRO, DDC, पटना में विधान सभा, न्यायालय, आर0टी0आई0 इत्यादि से संबंधित कार्य के लिए पटना आते है, वे पंचायती राज योजनाओं से संबंधित मुद्दो पर सचिव से उसी दिन अवश्य मिल कर ही वापस जाएंगे।

(अनुपालनः– सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार)

xi. 05 फरवरी से पहले सभी संपुष्टि/ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी/Promotion से संबंधित ममलें सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगें।

(अनुपालनः– सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार)

लगातार.....

xii. प्रत्येक माह के 02 तारीख तक सभी नियमित एवं संविदा पर कार्य कर रहे कर्मियों के वेतन भुगतान करना सुनिश्चित करेंगें।

(अनुपालनः– सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार)

अंत में सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

01/2/25
(दिवेश सेहरा)
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–9प० / विविध–01–247 / 2023 / 2052 / पं०रा० **पटना,** **दिनांक 04 / 02 / 2025**
प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार / सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः–9प० / विविध–01–247 / 2023 / 2052 / पं०रा० **पटना,** **दिनांक 04 / 02 / 2025**
प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग / मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः–9प० / विविध–01–247 / 2023 / 2052 / पं०रा० **पटना,** **दिनांक 04 / 02 / 2025**
प्रतिलिपिः–सचिव, भवन निर्माण विभाग / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः–9प० / विविध–01–247 / 2023 / 2052 / पं०रा० **पटना,** **दिनांक 04 / 02 / 2025**
प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव / अपर सचिव / निदेशक / सभी प्रभारी पदाधिकारी / सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

लगातार............

ज्ञापांकः–9प०/विविध–01–247/2023/2052/पं०रा० पटना, दिनांक 04/02/2025

प्रतिलिपिः–श्रीमती रंजना कुमारी, आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए अनुरोध है कि उक्त पत्र सभी संबंधितों को ई–मेल करते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव